



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249630  
CG-DL-E-23102023-249630

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]  
No. 715]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

उच्चतर शिक्षा विभाग

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2023

फा.सं. 4-1/2023-सीयू.II.—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का VIII) की धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद् कुलाध्यक्ष (विजिटर) के अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियां, 1922 में संसोधन करने हेतु निम्नलिखित संसोधन करती हैं, नामतः -

**1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ**

- (i) इन संविधियों को दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2023 कहा जा सकता है।  
(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तिथि से लागू हो जाएंगे।

**2. दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में, संविधि 11-F(4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

| मौजूदा  | संशोधित   |
|---|---|
| 11-F (4) कुलपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।<br>वशर्ते कि, उक्त पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते। | 11-F (4) कुलपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और वह एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।<br><br>- कोई परिवर्तन नहीं -- |

|   |   |
|---|---|
| <p>बशर्ते यह भी कि कुलाध्यक्ष कुलपति को, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है, ऐसी अवधि के लिए (एक वर्ष से ज्यादा नहीं) जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, कार्यरत रहने का आदेश दे सकते हैं।</p> <p>हालांकि, कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अपनी कार्यावधि या उसके किसी विस्तार या सत्तर वर्ष की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहेंगे।</p> | <p>- कोई परिवर्तन नहीं --</p> <p>- कोई परिवर्तन नहीं --</p> |
|---|---|

विकास गुप्ता, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./497/2023-24]

## DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(University of Delhi)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

**F. No. 4-1/2023-CU.II.**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 29 of the Delhi University Act 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Delhi University Statutes, 1922, namely:-

**1. Short Title and Commencement:**

- (i) These Statutes may be called as the Delhi University (Amendment) Statutes, 2023
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Delhi University Statute, 1922, in Statute 11-F(4), following shall be substituted:**

| Existing   | Amended   |
|--|---|
| <p><b>11-F (4)</b> The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for re-appointment.</p> <p>Provided that, notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.</p> <p>Provided further that the Visitor may direct that a Vice Chancellor, whose term of office has expired, shall continue in office for such period, not exceeding one year, as may be specified in the direction.</p> <p>Provided, however, a person appointed as Vice-Chancellor shall continue in office until completion of his term of office or any extension thereof or until he completes the age of 70 years whichever is earlier.</p> | <p><b>11-F (4)</b> The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years and <i>shall be eligible for re-appointment for another term.</i></p> <p>--No Change --</p> <p>--No Change --</p> <p>--No Change --</p> |

VIKAS GUPTA, Registrar

[ADVT.-III/4/Ext./497/2023-24]